

# नागरिकों को मिला राइट टू सर्विस एक्ट से समय पर सेवाओं व योजनाओं का लाभ मिलने का अधिकार: टीसी

समाचार निर्देश व्यूरो जयपाल लाल्म्बा  
झज्जर।

राइट टू सर्विस कमीशन के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता, सेवानिवृत्त आईएएस ने कहा कि नागरिकों को निर्धारित समयावधि में जनसेवा उपलब्ध कराना बेहद जरूरी है, ऐसे में सेवा का अधिकार आयोग के माध्यम से नागरिकों को यह अधिकार मिल गया है कि सरकार की सेवाओं व योजनाओं का तय समयसीमा के भीतर लाभ मिले। उन्होंने कहा कि वर्तमान में सरकार के 31 विभागों की 546 सेवाएं व योजनाएं सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 के तहत अधिसूचित है।

मुख्य आयुक्त श्री गुप्ता सोमवार को झज्जर शहर के राजकीय नेहरू स्नातकोत्तर महाविद्यालय ऑडिटोरियम में सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 विषय पर प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, आरडब्ल्यूए व अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की संयुक्त कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। डीसी श्याम लाल पूनिया ने झज्जर आगमन पर मुख्य आयुक्त का स्वागत किया और सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं व योजनाओं की प्रगति के बारे में पावर प्लाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से विभागवार अवगत कराया।



मुख्य आयुक्त गुप्ता ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत सेवाएं व योजनाएं उपलब्ध कराने की दिशा में उठाए जा थे कदमों पर प्रोत्साहित किया और कहा कि निर्धारित समयावधि में कार्य करते हुए नागरिकों को सरकारी सेवाओं से लाभान्वित किया जाए। मुख्य आयुक्त ने बताया कि सरकार की ओर से प्रत्यक्ष सेवा प्रदान करने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है। सरकारी विभागों के अधिकारियों को उस समय अवधि में ही वे सेवाएं आम जनता को

देनी हैं। इस दौरान सभी अधिकारी वह ध्यान रखें कि आवेदनों का रिजेक्शन रेट कम हो और पब्लिक सेटिसफैक्शन रेट में सुधार हो। उन्होंने कहा कि राइट टू सर्विस एक्ट में नोटिफाइड सेवाओं की समीक्षा के दौरान वे इन दो पहलुओं को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा और नीयत बिल्कुल साफ़ है कि सभी लोगों को समयबद्ध तरीके से सभी सरकारी सेवाएं उपलब्ध हों। उन्होंने बताया कि राइट टू सर्विस एक्ट में आम जिंदगी से जुड़ी 546

सेवाएं अधिसूचित हैं। इनमें से 277 सेवाएं अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के बारे में जानकारी वेबसाइट हरियाणा-आरटीएस.जीओवी.इन पर उपलब्ध है। सेवाओं के साथ स्कीम की जानकारी भी इस वेबसाइट पर दी गई है। उन्होंने कहा कि नोटिफाइड सेवाओं में और सेवाएं जोड़ने, या आयोग के साथ अपने सुझाव अथवा शिकायत साझा करने के लिए आरटीएस-एचआरवाईएटजीओवी.इन पर ई-मेल कर सकते हैं।

प्रो-एक्टिव होकर कार्य कर रहा है आयोग: राइट टू सर्विस आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा कि आयोग प्रो-एक्टिव होकर काम कर रहा है तथा किसी भी अधिकारी द्वारा सेवाएं प्रदान करने में देरी करने पर उसके खिलाफ कार्रवाही करने में नहीं हिचकेगा। आयोग ने हाल ही में मुख्यमंत्री के हाथों ऑटोमेटिड अपील सॉफ्टवेयर (आस) की शुरूआत करवाई है जिसमें व्यक्ति के आवेदन पर निर्धारित अवधि में काम नहीं होने पर अपने आप उच्च अधिकारी के पास अपील चली जाएगी। नागरिकों को समय पर सेवा उपलब्ध न होने पर झज्जर से चण्डीगढ़ तक बैठे अधिकारी की जवाबदेही तय है।